147

न्यायालय श्रीमान् मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

R. 5232 - पी/15

10 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

Rs. 30/-

R 5232 - पी/15

तनक तनय नान्हू केवट निवासी ग्राम क्योंटली तहसील चितरंगी जिला सिंगरौली म0प्र0

---आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

1. मतई तनय सुमारू कोल
2. गल्होरी तनय बुद्धू

दोनों निवासी ग्राम क्योंटली तहसील चितरंगी जिला सिंगरौली म0प्र0

--अनावेदक/गैर निगरानीकर्तागण

16.12.15

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 792/अपील/2009-10 मे पारित आदेश दिनांक 27.11.15

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता।

मान्यवर

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैः-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालयों/अपीलीय न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व आदेश विधि प्रकिया एवं प्रकरण मे आए तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R. 5232/I/15 जिला सिंगरौली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-3-16	यह निगरानी अपर आयुक्त के प्रकरण क्रमांक 792/अपील/09-10 में पारित आदेश दिनांक 27-11-15 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री रामनरेश मिश्रा द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों एवं प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 27-11-15 का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रकरण में मुख्य विवाद अनु० अधि० के आदेश दिनांक 27-7-00 को इन्तकालवी दर्ज कराये जाने के आदेश दिये गये थे जिसे अनु० अधि० द्वारा अपने आदेश दिनांक 21-4-10 से तहसीलदार द्वारा इन्तकालवी दर्ज कराये जाने के आदेश से पूर्व सभी सहखातेदारों को बिना सुने इन्तकालवी दर्ज कराये जाने के दिये गये आदेश को निरस्त कर दिया गया है। यह भी स्पष्ट हो रहा है कि अनु० अधि० के पूर्व प्र० क्र० 26/अ-23/82-83 में पारित आदेश दिनांक 22-7-00 के विरुद्ध अपील भी अपर कलेक्टर के न्यायालय में विचाराधीन थी। यहां यह तथ्य विशेष रूप से उभर कर सामने आ रहा है कि विवादित भूमि में अनावेदक गण सह खातेदार थे जिन्हें बिना सुनवाई का अवसर दिए S.D.O. के आदेश दिनांक 22-7-00 को इन्तकालवी दर्ज कराये जाने के आदेश तहसीलदार द्वारा दिए गये, जो उचित नहीं था जिसे अनु० अधि० द्वारा अपने प्रकरण क्रमांक 215/अपील/04-05 में पारित आदेश दिनांक 21-4-10 से निरस्त किया गया है, अनु० अधि० के इस आदेश को अपर आयुक्त द्वारा स्थिर रखा गया है	

M

R. 5232/11/15 सिंगोली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
तनख	मतदे	
	अपर आयुक्त के श्री आदेश दिनांक 27-11-15 के विरुद्ध यह निगरानी विचाराधीन है। अपर आयुक्त द्वारा अपने प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 27-11-15 के पैरा 5 में विद्यमान विवाद के संबंध में विस्तृत एवं स्पष्ट तथा तर्क संगत विवेचना कर बोलता हुआ आदेश पारित किया गया है। इसके साथ ही आवेदक अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई तथ्यात्मक अभिलेखीय आधार भी प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे अपर आयुक्त के निष्कर्ष विखण्डित होते हों। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 27-11-15 लागू होने से स्थिर रखा जाता है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रकरण में प्रथम दृष्टया ग्राह्यता का समुचित आधार न होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्र०दा०रि० हो। (हस्ताक्षर) नदाख	

शाक्षेमुग्वा—321—फॉर्म्स—21-9-2012—10,000.